

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004

कमांक एफ-31-01/2016/सत्ताईस-एक
प्रति,

भोपाल, दिनांक १५ जनवरी, 2016

उपाध्यक्ष
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण
नर्मदा भवन, भोपाल ।

विषय:- बलवाडा माईको सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् ।

संदर्भ:- सचिव, न०नि०म०का पत्र कमांक 15/52.07/27/न.नि.मं/16 दिनांक 13.01.2016

—00—

नर्मदा नियंत्रण मंडल की 52 वीं बैठक दिनांक 08.01.2016 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन एतद द्वारा बलवाडा माईको सिंचाई परियोजना हेतु रु. 52.78 करोड़ (रु. बावन करोड़) अठहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से -
तथा आदेशानुसार

Bleaght १५/१
(एस.के.बघेल)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
भोपाल, दिनांक १५ जनवरी 2016

कमांक एफ-31-01/2016/सत्ताईस-एक
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।
 2. अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
 3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
 4. सदस्य अभियांत्रिकी/वित्त/पर्यावरण एवं वन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
 5. संभागायुक्त, इन्डौर म०प्र० ।
 6. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, भोपाल ।
 7. महालेखाकार मध्यप्रदेश भोपाल/ग्वालियर ।
 8. सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
 9. मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ इन्डौर ।
 10. मुख्य सूचना अधिकारी, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल की ओर उक्त आदेश बेवसाइट पर दर्ज कराने हेतु अग्रेषित ।
 11. आर्डर बुक ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Bleaght १५/१
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग